प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास
उत्तरांचल शासन – देहरादून।

संख्या 834 / प्र0 स0 / 2001 देहरादून : मई 15, 2001

कार्यालय आदेश

उत्तरांचल में जड़ी–बूटी के कृषिकरण हेतु कृषकों के पंजीकरण एवं कृषि से उत्पादित जड़ी–बूटी की निकासी की प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने हेतु इस संबंध में पूर्व में विभिन्न स्तरों के द्वारा जारी किये गये निर्देशों को संशोधित करते हुए निम्न व्यवस्था की जाती है।

क. जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर :

1. जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर उत्तरांचल शासन के अधीन स्वायत्तशासी नोडल संस्था है, जिसे

जड़ी–बूटी की काश्तकारी एवं संग्रहण कार्य में सम्बद्ध सदस्यों के अभिलेखीकरण, पंजीकरण, परिचय पत्र, कृषि उत्पाद को रायल्टी से मुक्त करने हेतु सत्यापन, प्रमाणीकरण व निर्गमन पत्र निर्गत करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

2. गढ़वाल तथा कुमायूं मण्डल की पूर्व में गठित पृथक–पृथक जड़ी–बूटी विदोहन समितियों को समाप्त करते हुए सम्पूर्ण उत्तरांचल के लिए प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में एक ही समिति का गठन किया जायेगा। जिसके सदस्य सचिव वन उपयोग अधिकारी/वन संरक्षक शिवालिक वृत्त होंगे जो समिति के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। समिति के निर्देशानुसार ही संस्थान द्वारा उक्त प्रस्तर (क) में उल्लिखित कार्यवाहियों को सम्पन्न किया जायेगा।

3. संस्थान जड़ी–बूटी काश्तकारों का सर्वेक्षण, अभिलेखीकरण, पंजीकरण, कृषि प्रजातियों का चिन्हीकरण, परिचय–पत्र निर्गमन एवं तत्सम्बन्धी समस्त नियमों, प्रारूपों, निर्देशों व निरस्तीकरण कार्यवाहियों के लिए सक्षम होगा और सबके लिए मान्य होगा।

4. संस्थान कार्य की सुगमता, सरलता व जड़ी–बूटी कृषकों को असुविधा न होने देने के लिए जनपद स्तर पर कार्यरत किसी संस्था को अपने अधिकारों का प्रतिनिधायन कर सकता है, अथवा प्रतिनिधि संस्था को प्रतिबन्धित कर प्रतिनिधायन निरस्त कर सकता है।

5. संस्थान द्वारा वर्तमान में जनपदीय सहकारी भेषज, संघ व कुमायुं मण्डल विकास निगम, भेषज योजना कार्यालय, रानीखेत को अपने अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है आवश्यकतानुसार यह संख्या वृद्धि की जा सकती है। उत्तरांचल वन निगम भी यदि भागीदारी चाहता है तो उसे प्रतिनिधानित किया जाय।

6. संस्थान पूरे उत्तरांचल के काश्तकारों व संग्रहणकर्ताओं के लिए अभिलेख तैयार कर संस्थान की पत्रिका में प्रकाशित करता रहेगा। जिसकी प्रतियां वन विभाग, सहकारिता विभाग एवं अन्य प्रतिनिधि संस्थाओं को निःशुल्क प्राप्त होगी।

7. संस्थान विभिन्न कार्यवाहियों के सम्पादन में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु नियमों में संशोधन, जड़ी–बूटी की तस्करी, अवैध दोहन आदि को रोकने के लिए उपायों आदि के बारे में प्रमुख भेषज विशेषज्ञ, प्रभागीय वनाधिकारी व प्रतिनिधि संस्थाओं की पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर उसमें विचार हेतु रख सकता है। विचारोपरान्त समिति की संस्तुतियां राज्य स्तरीय समिति की संस्तुतियां राज्य स्तरीय समिति को निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी और निर्णय के उपरान्त लागू होगी।

ख. प्रतिनिधित संस्था एवं काश्तकार :

1. संस्थान द्वारा प्रतिनिधित संस्थाएं क्षेत्र में यह जानकारी देगी कि यदि कोई काश्तकार/काश्तकारी संस्थ पंजीकरण चाहती है तो वह निर्धारित प्रपत्र पर क्षेत्रगत प्रतिनिधि संस्था, क्षेत्रीय वनाधिकारी एवं संस्थान को जड़ी–बूटी काश्तकारी प्रारम्भ करने के न्यूनतम 3 माह के पश्चात पंजीकरण हेतु आवेदन दे सकेगा।

2. लघु काश्तकारों एवं सामूहिक खेती के इच्छुक कृषकों के शोध अतिरिक्त व्यवसायिक कार्य करने के इच्छुक संस्थएं सीधे निदेशक, जड़ी–बूटी संस्थान गोपेश्वर एवं प्रमुख भेषज विशेषज्ञ, रानीखेत को आवेदन कर सकती है, परन्तु इन्हें भी अपने अधिकृत अधिकारी/कार्यकर्ता का परिचयं पत्र बनाना आवश्यक होगा, जिनके अभिलेखों का सत्यापन संस्थान द्वारा स्वतः करते हुऐ हस्ताक्षरित सूचना एवं परिचय–पत्र तत्क्षेप के वन क्षेत्राधिकारी को हस्ताक्षर एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी, ताकि वन विभाग की भूमि एवं कृषि सम्बन्धी कार्यवाहियों का सत्यापन कर संज्ञान रख सकें।

3. संस्थान द्वारा प्रतिनिधित संस्थाएं, आवेदक काश्तकारों का आवेदन–पत्र प्राप्त कर निर्धारित प्रपत्र पर सर्वेक्षण कार्य करेगी, ताकि आवेदन का सत्यापन हो सके। सर्वेक्षण के उपरान्त प्रतिनिधित संस्था का यह दायित्व होगा कि वह काश्तकार का पूरा अभिलेख यथा नाम, पता, आयु, क्षेत्र काश्तकारी की भूमि, चिन्हित प्रजाति, आरोपण काल, उत्पादन अवधि, उत्पादन की सम्भावित मात्रा, प्रयोज्य अंग, बीज, बीज/प्लाटिंग मैटिरियल प्राप्ति का विवरण, निकासी की तिथि, कृषि उत्पाद (एग्रो प्रोजेक्ट) का प्रमाण पत्र आदि का पूरा अभिलेख रखेगी और काश्तकार को पंजीकृत कर पंजीकरण क्रमांक देते हुए परिचय पत्र हस्ताक्षरित कर वन क्षेत्राधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर हेतु सूचना की एक प्रति के साथ प्रस्तु करेगी।

4. प्रतिनिधित संस्थायें पंजीकृत काश्तकारों की सूचना जड़ी–बूटी शोध संस्थान को भी प्रेषित होगी। जिससे कि संस्थान काश्तकारों का विवरण नियमित पत्रिका में प्रकाशित कर सकें।

5. प्रतिनिधित संस्था द्वारा यदि जड़ी–बूटी काश्तकारों के अभिलेखों का सही रख–रखाव नहीं किया जाता है,

आवेदकों की सूचनाओं को सत्यापित नहीं किया गया है और पंजीकृत काश्तकार संस्थान द्वारा कृषिकरण के नाम पर वन प्रजातियों का अवैध दोहन एवं निकासी का कार्य किया जाता है, अथवा सूचित एवं प्रमाणित होता है तो पंजीकृत काश्तकार/काश्तकार संस्था का पंजीकरण निरस्त करते हुए प्रतिनिधित संस्था एवं पंजीकृत काश्तकार के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती है।

6. निम्नांकित वर्गीकृत कृषकों का आवेदन मान्य नहीं होगा :

क. जिन कृषकों ने कृषि प्रारम्भ नहीं की है और चिन्हित भूमि में आरोपण की सूची तीन माह पूर्व प्रतिनिधित संस्था और वन विभाग को नहीं दी है।

ख. जिन व्यक्तियों के अपने खेत नहीं है अथवा जिन्होंने वाण्ड पेपर पर अनुबन्ध कराकर न्यूनतम दस वर्ष के लिए भूमि नहीं प्राप्त की है।

7. जिन कृषकों ने स्वंय कृषिकरण न किया हो तथा परिचय पत्र को मात्र नाप खेती से जड़ी बूटी का संग्रहण कर निकासी चाहने के पक्ष में उपयोग करने हेतू सुनिश्चित किया हो (संग्रहण किसी भी क्षेत्र का हो) उसका परिचय पत्र अलग से लेना होगा। यह प्रक्रिया संस्थान द्वारा सम्पन्न की जाएगी।

8. एक व्यक्ति संग्रहणकर्ता और कृषक दोनों हो सकता है, लेकिन दोनों का परिचय अलग–अलग होगा।

9. सामुहिक जड़ी–बूटी काश्तकारी करने की दशा में चयनित प्रतिनिधि संस्था ही परिचय पत्र प्राप्त कर सकेगी। शर्त यह है कि सामूहिक खेती में उसका भी खेत हो और वह कृषि कार्य करता हो परन्तु व्यवसायिक कार्मिक की आवेदक संस्थाएं जो संस्थान द्वारा किया जायेगा।

10. काश्तकारों का जड़ी–बूटी के कृषिकरण हेतू पंजीकरण करने के लिए भेषज संघ तथा वन विभाग प्रत्येक विकास खण्ड में दो बार संयुक्त रूप से कैम्प भी लगाएगा और कैम्प में पंजीकरण एवं परिचय पत्र जारी करने की कार्यवाही स्थल पर ही पूर्ण की जाएगी तथा नये आवेदन पत्र भी कैम्प में काश्तकार दे सकते हैं।

11. संस्था एवं प्रतिनिधि संस्था आवश्यकता पड़ने पर काश्तकारों को जड़ी–बूटी के कृषिकरण की प्रसंस्करण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण भी देगें।

वन विभाग :

परिचय पत्र के संस्था के पदाधिकारी और सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी दोनों के हस्ताक्षर होगें। परिचय पत्र की अवधि पांच वर्ष की होगी। पांच वर्ष के उपरान्त इसका नवीनीकरण करना होगा। स्थानीय वन विभाग सत्यापन का कार्य अधिकतम 21 दिन के अन्तराल में पूरा कर लेगा तथा वह सन्तुष्टि व आश्वस्त होने के लिए संस्था के अभिलेख को देख सकेंगे। काय को सुगम बनाने और काश्तकारों की सुविधा हेतु तथा संस्थाओं को सहयोग देने के लिए वन विभाग मात्र यह सत्यापन करेगा कि :

1. वन अभिलेखों से आवेदक की भूमि वन क्षेत्र की नहीं है।
2. आरोपित प्रजाति चयनित है तथा उसके उपज की संभावित मात्रा का न्यूनतम और अधिकतम सीमा में सत्यापन संस्था द्वारा किया गया है।
3. वास्तव में भूमि कृषक की है, अनुबन्ध में प्राप्त है अथवा सामूहिक खेती में ली गई है।
4. काश्तकार ने कृषि हेतु बीज/प्लान्टिग मैटिरियल कितनी मात्रा में किस संस्था से प्राप्त किया है।

घ. कृषि से उत्पादित जड़ी–बूटी की निकासी की प्रक्रिया :

1. पंजीकृत कृषक द्वारा पैदा की जा रही जड़ी–बूटी की भूमि का समय–समय पर वन विभाग तथा प्रतिनिधि संस्था के अधिकारी/कर्मचारी निरीक्षण कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वास्तव में कृषक जड़ी–बूटी की खेती कर रहा है।फसल के अन्त में होने वाली जड़ी बूटी का नाम व अनुमानित मात्रा का भी आंकलन प्रतिनिधि संस्था एवं वन विभाग द्वारा किया जायेगा।
2. कृषिकरण से उत्पादित जड़ी–बूटी की निकासी हेतु प्रतिनिधि संस्था निर्धारित प्रारूप में तिपत्री रवन्ना बुकों की

व्यवस्था करेगी जिसमें प्रतिनिधि संस्था के कार्यकारी अधिकारी एवं सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों के पश्चात् प्रतिनिधि संस्था निकासी रवन्ना तीन प्रतियों में सम्बन्धित काश्तकार को उपलब्ध करायेगी। इन रवन्नों में गोदामों में ले जाये जाने वाली जड़ी–बूटी के कास्त क्षेत्र का नाम, प्रजाति, मात्रा, गोदामों का नाम तथा स्थान जहां ले जाना है भरा जायेगा।

3. कृषक उक्त रवन्ने परिवहन मार्ग में पड़ने वाले वन विभाग की प्रथम चैक चौकी पर सम्बन्धित कर्मचारी को देगा जो जांच कर जड़ी–बूटी का नाम, मात्रा व अन्य विवरण रवन्ने में भरेगा। इसकी प्रथम प्रति (पीले रंग की) वह अपने राजि अधिकारी को दे देगा, दूसरी प्रति (गुलाबी रंग की) सम्बन्धित भेषज सचिव तथा तीसरी प्रति (हरे रंग की) निकासी देने वाले कृषक को देगा जिसे लेकर काश्तकार अपनी जड़ी–बूटियां अन्यत्र ले जा सकेंगे।

4. पंजीकृत कृषक से उसके द्वारा उगाई जड़ी–बूटी की निकासी पर वन विभाग द्वारा रायल्टी नहीं ली जायेगी, किन्तु कृषक को वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 के प्राविधानों के अनुरूप निर्धारित दरों पर अभिवहन शुल्क देना होगा, तथा नियमानुसार व्यापार कर तथा अन्य देय कर का भुगतान करना होगा।

5. प्रतिनिधि संस्था एवं राजि अधिकारी प्रत्येक माह उक्त प्रकार प्राप्त रवन्नों की सूचनायें पूर्ण विवरण के साथ सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को भेजेंगे जो जड़ी–बूटियों के संग्रहण परिवहन व विपणन का अपने यहां लेखा–जोखा रखेंगे।

(आर0 एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास विभाग

पत्रांक : 834 / प्र0 स0 / 2001 दिनांकित्

प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तरांचल।
2. समस्त वन संरक्षक, उत्तरांचल।
3. समस्त वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल।
4. निदेशक, जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर (चमोली)।
5. प्रमुख भेषज विशेषज्ञ, उ0 प्र0 सहकारिता विभाग, रानीखेत।
6. समस्त सहकारी भेषज क्रय–विक्रय संघ, उत्तरांचल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तरांचल।
9. निदेशक प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
10. वरिष्ठ वैज्ञानिक, डाबर रिसर्च फाउन्डेशन, कैम्प अल्मोड़ा।
11. सूचना निदेशक, उत्तरांचल, देहरादून।
12. व्यापार कर आयुक्त, देहरादून।
13. निदेशक, मण्डी समिति, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर।

आर0 एस0 टोलिया
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास विभाग